

पत्रांक-5 / बी01-13 / 2017.....

बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

विनोद कुमार सिंह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा)
संलग्न विवरणी अनुसार।

पटना, दिनांक /

विषय :- वित्तीय वर्ष 2017-18 में माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना के तहत नवीं कक्षा में अध्ययनरत् अन्य कोटि के बालकों के लिए कुल रूपये 1,25,25,05,000/- (एक अरब पच्चीस करोड़ पच्चीस लाख पांच हजार रूपये) मात्र राशि का आवंटन।

महोदय,

मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-02-माध्यमिक शिक्षा, लघु शीर्ष-107-छात्रवृत्तियाँ, उपशीर्ष-0105-मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना, विषय शीर्ष-0105.34.01-छात्रवृत्ति/वजीफा, विपत्र कोड 21-2202021070105 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना के तहत नवीं कक्षा में अध्ययनरत् अन्य कोटि के बालकों के लिए साईकिल क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल राशि रू0 1,25,25,05,000/- (एक अरब पच्चीस करोड़ पच्चीस लाख पांच हजार रूपये) मात्र आपको संलग्न विवरणी आवंटन आवंटित की जाती है।

- 2 यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 (वि0-2), दिनांक-17.04.1998 300(वि), दिनांक-08.05.2009, 428 दिनांक-31.03.2017 एवं 3002 दिनांक-26.04.2017 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित है।
- 3 उपर्युक्त आवंटन स्वीकृत्यादेश संख्या-62 दिनांक-05.12.2017 के आलोक में आवंटित है।
- 4 इस राशि की निकासी एवं व्यय स्वीकृत्यादेश संख्या-62 दिनांक-05.12.2017 में अंकित प्रावधानों के अनुसार की जाय।
- 5 आवंटित राशि का भुगतान पूरी छान-बीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियम के आलोक में ही किया जाए। आवंटित राशि के विरुद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- 6 इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियम के आलोक में ही व्यय किया जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हों।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सकें।
8. बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के आलोक में प्रत्येक तिमाही की व्यय की सूचना वित्त विभाग को यथा समय उपलब्ध कराने हेतु विहित प्रपत्र में वांछित सूचनाएँ प्रत्येक तिमाही के अंत में निश्चित रूप से विशेष दूत से उपलब्ध करा दिया जाय।
9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाए, ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
10. मासिक व्यय विवरणी अगले माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0नं0 एवं तिथि के साथ अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय।
11. मितव्ययिता अवश्य बरतें।
12. इस विपत्र कोड के विषय शीर्ष-0105.34.01-छात्रवृत्ति/वजीफा में प्रथम अनुपूरक आगणन द्वारा 85.30 करोड़ रुपये मात्र का अतिरिक्त बजटीय उपबंध कराया गया है।

विश्वासभाजन,

ह0/-


(विनोद कुमार सिंह),

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 18/

पटना, दिनांक:- 09/12/2017

प्रतिलिपि:-संबंधित कोषागार पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)/सहायक निदेशक (योजना)/उप सचिव/अवर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी/प्रशाखा-05 एवं 11/आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(विनोद कुमार सिंह),
सरकार के विशेष सचिव
12/12/17

मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-02-माध्यमिक शिक्षा, लघु शीर्ष-107-छात्रवृत्तियाँ, उप शीर्ष-0105-मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना, विषय शीर्ष-0105.34.01-छात्रवृत्ति/वजीफा, विपत्र कोड 21-2202021070105 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना के तहत नवीं कक्षा में अध्ययनरत अन्य कोटि के बालकों के लिए साईकिल क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिलावार आवंटित राशि की विवरणी।

| क्र० सं० | जिला का नाम | पूर्व में आवंटित राशि | तत्काल अन्य कोटि के बालकों की संख्या | तत्काल आवंटित राशि | कुल आवंटित राशि |
|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | पटना | 0 | 15302 | 38255000 | 38255000 |
| 2 | नालन्दा | 0 | 14293 | 35732500 | 35732500 |
| 3 | भोजपुर | 0 | 17732 | 44330000 | 44330000 |
| 4 | बक्सर | 0 | 11408 | 28520000 | 28520000 |
| 5 | रोहतास | 0 | 19453 | 48632500 | 48632500 |
| 6 | कैमूर (भभूआ) | 0 | 4411 | 11027500 | 11027500 |
| 7 | गया | 0 | 10955 | 27387500 | 27387500 |
| 8 | जहानाबाद | 0 | 2332 | 5830000 | 5830000 |
| 9 | अरवल | 0 | 3640 | 9100000 | 9100000 |
| 10 | नवादा | 0 | 12766 | 31915000 | 31915000 |
| 11 | औरंगाबाद | 0 | 10730 | 26825000 | 26825000 |
| 12 | मुजफ्फरपुर | 0 | 22355 | 55887500 | 55887500 |
| 13 | सीतामढ़ी | 0 | 16917 | 42292500 | 42292500 |
| 14 | शिवहर | 0 | 3500 | 8750000 | 8750000 |
| 15 | वैशाली | 0 | 18576 | 46440000 | 46440000 |
| 16 | पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) | 0 | 27557 | 68892500 | 68892500 |
| 17 | प० चम्पारण (बेतिया) | 0 | 20162 | 50405000 | 50405000 |
| 18 | सारण | 0 | 26656 | 66640000 | 66640000 |
| 19 | सीवान | 0 | 20096 | 50240000 | 50240000 |
| 20 | गोपालगंज | 0 | 15780 | 39450000 | 39450000 |
| 21 | दरभंगा | 0 | 25347 | 63367500 | 63367500 |
| 22 | मधुबनी | 0 | 36586 | 91465000 | 91465000 |
| 23 | समस्तीपुर | 0 | 16798 | 41995000 | 41995000 |
| 24 | सहरसा | 0 | 10185 | 25462500 | 25462500 |
| 25 | सुपौल | 0 | 11235 | 28087500 | 28087500 |
| 26 | मधेपुरा | 0 | 9144 | 22860000 | 22860000 |
| 27 | पुर्णिया | 0 | 10208 | 25520000 | 25520000 |
| 28 | अररिया | 0 | 7195 | 17987500 | 17987500 |
| 29 | किशनगंज | 0 | 5049 | 12622500 | 12622500 |
| 30 | कटिहार | 0 | 7745 | 19362500 | 19362500 |
| 31 | भागलपुर | 0 | 15116 | 37790000 | 37790000 |
| 32 | बांका | 0 | 6665 | 16662500 | 16662500 |
| 33 | मुंगेर | 0 | 6610 | 16525000 | 16525000 |
| 34 | शेखपुरा | 0 | 2620 | 6550000 | 6550000 |
| 35 | लखीसराय | 0 | 4105 | 10262500 | 10262500 |
| 36 | जमुई | 0 | 6101 | 15252500 | 15252500 |
| 37 | खगड़िया | 0 | 9530 | 23825000 | 23825000 |
| 38 | बेगूसराय | 0 | 16142 | 40355000 | 40355000 |
| कुल योग :- | | 0 | 501002 | 1252505000 | 1252505000 |

कुल (एक अरब पच्चीस करोड़ पच्चीस लाख पांच हजार) रुपये मात्र।

(विनोद कुमार सिंह),

सरकार के विशेष सचिव

लखीपुर